

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3 तेरहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का नवां दिवस संख्या 07

बुधवार,  
15 जुलाई, 2009

राजस्थान विधान सभा की बैठक 1100 बजे  
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

अनेक माननीय सदस्य: राम, राम, साहब।

अध्यक्ष: कृपया बिराजें। कृपया बिराजें। (व्यवधान)...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर कोई ..(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक फैसला नहीं होगा, सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजें। (व्यवधान).... कृपया बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आपका प्रयास, आप सदन को चलाना चाहते हैं, हम भी सदन को चलाना चाहते हैं। यह सदन राजस्थान की सर्वोच्च संस्था है अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजें, आसन पांवों पर है। बिराजें। (व्यवधान).... कृपया बिराजें। आसन पांवों पर है, कृपया बिराजें। आसन पांवों पर है, कृपया बिराजें। कृपया बिराजें। आसन पांवों पर है, माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। ..(व्यवधान) .. कृपया आप बिराजें। ..(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सत्ता रूढ़ दल यह नहीं चाहता कि सदन चले। ..(व्यवधान).... नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। ...(व्यवधान)... आसन पांवों पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हां, हम बिल्कुल बैठ जायेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। मैंने प्रश्न काल भी शुरू नहीं किया है। मैं आपको कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। ..(व्यवधान) .. मैंने प्रश्नकाल भी शुरू नहीं किया है, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आसन पांवों पर है, कृपया बिराजें। ..(व्यवधान)... कृपया बिराजें। कृपया बिराजें। ..(व्यवधान)... कृपया बिराजें। ..(व्यवधान)... मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कृपया बिराजें। कृपया बिराजें। ..(व्यवधान)... करो, कोई मतलब ही नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में प्रवेश एवं नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य: जिस ढंग से बोला है, जिस ढंग से एक्टिंग किया है, क्या यह शोभनीय काम था? ..(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पूरा राजस्थान देख रहा है, आप सदन नहीं चलाना चाहते। सबके सामने आपकी पोल खुल रही है। ..(व्यवधान)... आप चाहते हो तो डिस्कस करा लें, किसकी गलती है सामने आ जायेगी। ..(व्यवधान).. लोगों के सामने चर्चा होनी चाहिये, पता चलना चाहिये, किसने गलत कहा, किसने सही कहा। ..(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: प्रतिपक्ष की नेता जिस तरह से एक महिला जो सदन की सदस्य नहीं है, जिस तरह की ...(व्यवधान).... इस राजस्थान विधान सभा के लिये और शर्मनाक ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा।

श्रीमती नसीम अख्तर: 000

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास : 000

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): 000

श्री करणसिंह (छबड़ा): 000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.04 बजे एक घण्टे के लिये स्थगित हुई।)

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

**Solanki/usc 15.07.2009 12.00 1g**

**(12.04 बजे)**

**पुनः समवेत् होने पर**

**( श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन )**

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष यह चाहता है कि सदन चले। जिस तरह की टीका टिप्पणी सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने की है.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप लोग सहयोग करें तब सदन चल पायेगा। (व्यवधान)  
अंकित नहीं होगा। कृपया आप लोग सहयोग कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के द्वारा सदन के वेल में प्रवेश)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा नारेबाजी)

### **स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री बाबूलाल खराड़ी (107) एवं तीन सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाडोल में कम वर्षा होने से कृषकों द्वारा बोये गये बीज का अंकुरन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री राधेश्याम गंगानगर(152) सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर में कानून व व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

3. श्री गुलाब चन्द कटारिया(50) सदस्य की ओर से राज्य में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

रोककर इस पर विचार किया जाय। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। वैसे भी आज इस विषय पर माननीय सदस्य पर्ची के माध्यम से अपने विचार रखेंगे।

4. श्री ज्ञानचन्द पारख(67) एवं 21 अन्य सदस्यों की ओर से पंचायत समिति पाली में विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के कई आवेदन पत्र ग्राम सेवकों एवं पटवारियों द्वारा गुम कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री ओटाराम देवासी(22) एवं अन्य 8 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिरौही में विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन के कई पात्र व्यक्तियों के पेंशन प्राप्त करने में वंचित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(सदन में भारी नारेबाजी)

सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.07 बजे एक घण्टे के लिये स्थगित हुई।)

महेन्द्र/चौहान/1300/1n/15072009/1 अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

(13:07 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पीडा है कि दो दिन से सदन का समय खराब हो रहा है ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन चलाना नहीं चाहते। पूरा राजस्थान देख रहा है इनको, न चर्चा करना चाहते हैं न फैसला करना चाहते हैं यह लोग। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात ...(व्यवधान).... जिस तरह का वातावरण सदन के अन्दर है, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह लोग तो बारबार ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। ... (व्यवधान)... अंकित नहीं होगा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 000

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

(भारतीय जनता पार्टी के मा० सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश व नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

... (व्यवधान)... कृपया व्यवधान नहीं, सदन की कार्यवाही चलने दें। ... (व्यवधान)...

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): 000

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 000

(भारतीय जनता पार्टी के मा० सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(कांग्रेस पार्टी के मा० सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 000

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): 000

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): 000

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.10 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

vns/usc/14.10/15.7.2009/2d/1/अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

(14.10 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय.. (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, 108 नये लोग जीतकर आये हैं, सदन को चलाना चाहते हैं.; (व्यवधान) दोनों तरफ के 108 लोग हैं उनकी तरफ दया कीजिये, फैसला करवाइये.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का सदन के

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अन्दर..(व्यवधान) निश्चित रूप से...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): अध्यक्ष महोदय, यह सदन को चलाना नहीं चाहते हैं..(व्यवधान) माफी मांगने..(व्यवधान) सदन को चलाना नहीं चाहते हैं..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सदन चलें..(व्यवधान) वह भी राजस्थान की..(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं सदन चले..(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश व नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप बिराजें..(व्यवधान) मैं आपसे अपील करता हूँ कृपया आप बिराजिये..(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 108 नये एम एल ए आए हैं..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माफी चाहते हो..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कृपया आप बिराजिये। कृपया आप मेहरबानी करके सदन को चलने दें। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष व भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): बार-बार यह लोग वैल में आते हैं, पहले भी ...(व्यवधान)... दोनों को बुलाकर बात ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया आप बिराजें। सदन को चलने दें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पूरे राजस्थान की जनता तमाशा देख रही है और यह लोग सदन को चलाना नहीं चाहते ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया आप मेहरबानी करके सदन को चलने दें, राजस्थान की जनता यह उम्मीद कर रही है कि सदन में उनकी समस्याओं को ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माहौल को बिगाड़ा है ...(व्यवधान)...

(सत्ता पक्ष व भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की महिला.. ...(व्यवधान)...

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): वोट नहीं दिये हैं। राजस्थान की जनता ने समस्याओं को उठाने के लिए वोट दिये हैं और आप यदि सदन चलाना चाहते हो तो बैठकर बात कर लो। आप न बात करना चाहते हो न चर्चा करना चाहते हो ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: राज्य में बिजली की स्थिति पर चर्चा होगी, तत्समय माननीय सदस्यों को बोलने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है, अतः स्थगन प्रस्ताव के रूप में अनुमति देने में असमर्थ हूँ। ...(व्यवधान)...

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूँ। फिर भी प्रमुख प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री अमराराम, श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री प्रभुलाल सैनी एवं श्री हनुमान बेनीवाल को अपने अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम ...(व्यवधान)... श्री अमराराम ...(व्यवधान)... श्री अमराराम, स्थगन पर बोलने के लिए श्री अमराराम ...(व्यवधान)... श्री ज्ञानदेव आहूजा ...(व्यवधान)... श्री ज्ञानदेव आहूजा ...(व्यवधान)... श्री प्रभुलाल सैनी, श्री हनुमान बेनीवाल। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, विपक्ष की माननीय नेता को भी वाद विवाद में भाग लेना है बजट पर ...(व्यवधान)...

#### नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

माननीय सदस्यों द्वारा 295 के जो प्रस्ताव हैं उनको पढ़ा हुआ मान लिया गया। ...(व्यवधान)...

सामान्य वाद विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से प्राप्त उत्तर आज होगा। सामान्य वाद विवाद पर माननीय विरोधी दल की नेता को बोलना है। मैं निवेदन करूंगा विरोधी दल की माननीय नेता श्रीमती वसुन्धरा राजे जी से कि वह अपना वक्तव्य शुरू करें ...(व्यवधान)... विरोधी दल की नेता सम्माननीय वसुन्धरा जी से मैं निवेदन करूंगा कि सामान्य वाद विवाद में भाग लेने के लिए वह अपना भाषण प्रस्तुत करें ...(व्यवधान)... विरोधी दल की सम्माननीय नेता को मैं निवेदन करूंगा कि वाद विवाद प्रारम्भ करें ...(व्यवधान)... विरोधी पक्ष की नेता को वाद विवाद में भाग लेना है, उनको सुनने के लिए कृपया आप लोग बिराजें ...(व्यवधान)... कृपया आप लोग बिराजें। राजस्थान की जनता देख रही है, देश का मीडिया देख रहा है, किस प्रकार का व्यवहार और किस प्रकार की स्थिति सदन की है। मुझे बड़ी तकलीफ है यह कहते हुए, वेदना है यह कहते हुए, कृपया अब सदन चलने दें ...(व्यवधान)... मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, दोनों पक्षों के चार-चार माननीय सदस्य चैम्बर में पधार जाएं इस समस्या के समाधान के लिए। बैठकर के इस समस्या का समाधान हो सकेगा, चर्चा से ही समस्या का समाधान हो सकेगा ...(व्यवधान)... कृपया आप लोग बिराजें। किसी भी समस्या का समाधान आपस में बैठकर किया जाना संभव है। हो हल्ले में किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कृपया आप बिराजें। आसन पांवों पर हैं,

कृपया आप बिराजें ...(व्यवधान)... आप कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें। आज के समाचार पत्र और मीडिया को आपने देखा होगा। सदन की कार्यवाही कृपया चलने दें ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें। राजस्थान की जनता उम्मीद करके हम सबको यहां भेजती है, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें, ...(व्यवधान)... अंकित नहीं हो रहा है, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें, दो दिन से बार-बार प्रयास के बावजूद मेरी प्रार्थना पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, राजस्थान की जनता देख रही है, प्रेस की, जनता ने आपको उम्मीद करके यहां भेजा है कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आप सदन का उपयोग करें न कि केवल हो हल्ले से सदन का समय बर्बाद करें। राजस्थान की जनता के पसीने की कमाई के टैक्स से यह सदन चलता है, लाखों रुपया खर्च होता है। कृपया उस बर्बादी को आप रोकें, जनता की भावना को समझें। कृपया आप विवेक से काम करे ...(व्यवधान)... राजस्थान की जनता उम्मीद करके बैठी है कि आप उनकी बात को यहां सदन में रखेंगे, मैं आपसे फिर अपील करना चाहता हूं कृपया आप बिराज जायं, आसन पांवों पर है, कृपया आप बिराज जाएं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। कृपया सहयोग करें ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)...

**श्याम/चौहान 15.07.2009 14.20 2e**

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 000

श्री अध्यक्ष: विरोधी दल के माननीय सदस्य, चार-चार माननीय सदस्य मेरे चैम्बर में पधार जायें ताकि किसी प्रकार समस्या का हल निकल सके तो बड़ी मेहरबानी होगी ...(व्यवधान)... अंकित नहीं हो रहा है।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा नारेबाजी जारी)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 000

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): 000

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): 000

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा नारेबाजी जारी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, विरोधी पक्ष की नेता को वाद-विवाद में हिस्सा लेना है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे शुरू करें, मुझे बड़ी तकलीफ है यह कहते हुए

---

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

कि हम लोग क्या इसके लिए सदन में चुनकर आते हैं? क्या राजस्थान की जनता हमको इसके लिए चुनकर भेजती है? माननीय विरोधी पक्ष की नेता को मैं निवेदन करूंगा कि वह वाद-विवाद में अपना भाषण शुरू करें। माननीय विरोधी पक्ष की नेता से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह वाद-विवाद में हिस्सा लेने के लिए अपना भाषण शुरू करें। राजस्थान की जनता देख रही है कि क्या जन प्रतिनिधियों को उसने इसलिए सदन में भेजा है? बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें ... (व्यवधान)... दोनों ओर से माननीय सदस्यों के चार-चार प्रतिनिधि मेरे चैम्बर में पधार जायें, बैठकर के चर्चा कर लें, किसी प्रकार से सदन को चलने में सहयोग करें ... (व्यवधान)...

**jyg/usc/15.7.9/14.30/2f**

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा अपने आसनों से व प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही सवा घण्टे के लिए स्थगित की जाती है। ... (व्यवधान)... सदन की कार्यवाही सवा घण्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.30 बजे सवा घण्टे के लिए स्थगित हुई।)

**Gpc/akt/15072009/1540/2n**

(15.45 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। कृपया विराजें। ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं सदन सुचारु रूप से चले। हम अपने राजस्थान की जनता को सदन के माध्यम से ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: क्या भाजपा के उप नेता घनश्याम जी तिवाड़ी कुछ कहना चाहते हैं? ... (व्यवधान)... नहीं कहना चाहते। ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यहां रखना चाहते हैं पर जिस तरह का सदन का वातावरण बना है, मैं सदन के नेता को कहना चाहूंगा ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: क्या भाजपा के उप नेता महोदय घनश्यामजी तिवाड़ी कुछ कहना चाहते हैं? कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सत्ता के मद में चूर होकर जिस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। कृपया विराजें। सदन की कार्यवाही चलने दें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

आसन पांवों पर है, कृपया विराजें। सदन की कार्यवाही चलने दें। अंकित नहीं हो रहा है, सदन की कार्यवाही चलने दें। ...(व्यवधान)...कृपया विराजें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। ...(व्यवधान)... परिवर्तित आय-व्यय अनुमान वर्ष 2009-2010 सामान्य वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिए माननीय सदस्यों के नाम मुझे प्राप्त नहीं हुये हैं। माननीय विरोधी दल की नेता को मैंने निवेदन किया है कि वे अपनी बात रखें। अब कृपया कार्यवाही को आगे चलने दें।

### मोहन/अरूण/15072009/1550/20

कृपया आगे चलने दें। किसी माननीय सदस्य की ओर से मेरे को नाम प्राप्त नहीं हुए हैं। विरोधी दल के नेता को भी मैंने निवेदन किया है कि वह अपना भाषण प्रारंभ करें। मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत।

### परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2009-10 के बजट पर पाँच दिनों तक सामान्य वाद-विवाद चला जिसमें बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने उत्साह के साथ भाग लिया। हमारी सरकार एक स्वस्थ समालोचना की पक्षधर है, तथा मैं इस चर्चा का समापन करते समय सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने सुझाव सदन में रखे तथा अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से हमें अवगत कराया।

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

समय सीमा को ध्यान में रखते हुए यह संभव नहीं होगा कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रत्येक बिन्दु का आज उल्लेख कर सकूँ, किन्तु मैं सदन को यह अवश्य अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रत्येक मुद्दे पर गंभीरता से विचार करेंगे तथा हमारी भविष्य की कार्य योजना बनाते समय इन बिन्दुओं का ध्यान रखेंगे। आज की चर्चा के पश्चात् आगामी लगभग आठ दिनों तक विभिन्न मांगों पर सदन में चर्चा होगी तथा उस दौरान विभागीय मुद्दों पर विस्तृत विवेचन का माननीय सदस्यों को अवसर प्राप्त होगा।

इस माहौल के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, चाहूँगा कि मेरा भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट पर सामान्य वाद विवाद पर उत्तर की प्रति सदन की मेज पर रखी गयी।)

(पढ़ी हुई मानी गयी प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): <sup>000</sup>

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई, 2009 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.54 बजे गुरुवार दिनांक 16 जुलाई, 2009 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

### परिशिष्ट

(परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद का माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर जो पढ़ा हुआ माना गया)

मोहन/अरूण/15072009/20a

मैंने अपने बजट भाषण में भी यह उल्लेख किया है कि हमारा बजट आम आदमी, गरीब एवं गांवों को समर्पित है। इसी उद्देश्य के अनुरूप बजट में नये कार्यक्रमों की घोषणाएं की गई हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुरूप बजट प्रावधान बढ़ाये

<sup>000</sup> अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

गये हैं ताकि सामाजिक सेवाओं एवं आधारभूत ढांचे के विकास हेतु समुचित राशियां उपलब्ध हो सकें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परिवर्तित बजट में 2168 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान, वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों (1701 करोड़ रुपये) से 27 प्रतिशत अधिक।

पेयजल आपूर्ति के लिए परिवर्तित बजट में 4000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान, वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों (3369 करोड़ रुपये) से 23 प्रतिशत अधिक।

शिक्षा के लिए परिवर्तित बजट में 9162 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान, वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों (7488 करोड़ रुपये) से 22 प्रतिशत अधिक।

ग्रामीण विकास के लिए परिवर्तित बजट में 2772 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान, वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों (2374 करोड़ रुपये) से 17 प्रतिशत अधिक।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए परिवर्तित बजट में 2318 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान, वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों (2048 करोड़ रुपये) से 13 प्रतिशत अधिक।

कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए परिवर्तित बजट में 1977 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान, वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों (1630 करोड़ रुपये) से 21 प्रतिशत अधिक।

सड़कों के लिए परिवर्तित बजट में 1281 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान, वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों (1070 करोड़ रुपये) से 20 प्रतिशत अधिक। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में 1100 करोड़ रुपये का खर्चा किया जाना अनुमानित है।

तारानगर, राजसमंद एवं पाली से आये माननीय सदस्यों ने यह बिन्दु उठाया है कि बजट भाषण घोषणा पत्र के अनुरूप नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि बजट मुख्य रूप से चुनाव घोषणा पत्र में दर्शाई गई नीतियों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। माननीय सदस्य ने संभवतः न तो घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़ा है और न ही बजट दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया है। मैंने तो अपने बजट भाषण में भी इसका उल्लेख किया है कि हम घोषणा पत्र में किये गये वादों को पूरा करेंगे।

हमारे चुनाव घोषणा पत्र में विभागवार जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनको संकल्पों के रूप में प्रस्तुत किया गया है और ये हमारी आगामी पाँच वर्षों की कार्य योजना दर्शाते हैं। स्वाभाविक रूप से, इन सभी संकल्पों को एक वर्ष में ही पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे हमने कहा कि 250 तक की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ा

जाएगा, तो क्या माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि यह लक्ष्य एक वर्ष में ही पूरा हो जाएगा। ऐसे कई उदाहरण मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ किन्तु केवल इसी बिन्दु पर यदि पूरी व्याख्या करने लग गया तो संभवतः अन्य बिन्दुओं पर चर्चा करने का समय नहीं बचेगा।

हमारे घोषणा पत्र में 329 संकल्प हैं, जिसमें से बजट में 101 संकल्पों के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, हमारी सरकार की प्रथम 100 दिवस की कार्य योजना के माध्यम से घोषणा पत्र के लगभग 80 बिन्दुओं को क्रियान्वित किया जा चुका है।

बजट भाषण में, विभिन्न विभागों में जो नियुक्तियां प्रस्तावित की गई हैं उनका उल्लेख किया गया है। मैं यहां पर हमारी सरकार के गठन के पश्चात् दिसम्बर, 2008 से मई, 2009 की अवधि में उपलब्ध कराये गये रोजगार के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सरकार द्वारा 7862 नियमित नियुक्तियां दी गई, 622 मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्तियां तथा 6933 संविदा पर नियुक्तियां दी गई। इसके अतिरिक्त 2617 पदोन्नतियां दी गईं।

**Skp/akt/15.07.2009/15.50/2p**

### **राजस्व प्राप्ति**

शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य श्री राव राजेन्द्र सिंह ने उल्लेख किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजस्व प्राप्ति में 59.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि बी. जे. पी. के शासनकाल वर्ष 2003-2008 में राजस्व प्राप्ति में 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

माननीय सदस्य दो ऐसी अवधियों की कांग्रेस, बी.जे.पी. के नाम पर तुलना कर रहे हैं, जो वास्तव में सम्पूर्ण देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से भिन्न रही हैं। 2003 से 2008 की अवधि में न केवल हमारे राज्य में अपितु लगभग समस्त राज्यों की राजस्व आय में एवं केन्द्रीय करों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई थी।

समस्त नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जिसमें राजस्थान भी शामिल है की राजस्व आय में वर्ष 2003-04 से वर्ष 2008-09 की अवधि में लगभग 133 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि इस अवधि में हमारे राज्य की राजस्व आय में वृद्धि 114 प्रतिशत ही रही। अतः राजस्थान की राजस्व आय में वृद्धि के लिये पूर्ववर्ती सरकार का श्रेय लेना कोई मायने नहीं रखता।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003-04 से 2008-09 की अवधि में राज्य के कर राजस्व में 14.98 प्रतिशत की वृद्धि दर (कम्पाउण्ड ग्रोथ रेट) दर्ज की गई जबकि अन्य 15 राज्यों की वृद्धि दर इससे अधिक रही, जो इस प्रकार है:-

राज्य	वृद्धि दर
आन्ध्र प्रदेश	22.36
गुजरात	16.18
हरियाणा	17.63
हिमाचल प्रदेश	18.51
जम्मू कश्मीर	18.28
कर्नाटक	20.45
मध्य प्रदेश	15.93
महाराष्ट्र	15.58
उड़ीसा	17.11
तमिलनाडु	15.77
उत्तर प्रदेश	18.89
दिल्ली	18.66
छत्तीसगढ़	20.36
झारखण्ड	19.44
उत्तराखण्ड	20.54

वर्ष 2003-04 से 2008-09 की अवधि में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की राशि में 22.35 प्रतिशत की वृद्धि दर (कम्पाउण्ड ग्रोथ रेट) दर्ज की गई जबकि केवल 5 राज्यों की वृद्धि दर इससे अधिक रही, जो इस प्रकार है:-

राज्य	वृद्धि दर
गुजरात	25.22
हरियाणा	24.03
पंजाब	25.25
छत्तीसगढ़	22.76
उत्तराखण्ड	31.03

यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003-04 की तुलना में 2008-09 में केन्द्रीय राशि में राज्य के हिस्से में 149.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि केन्द्र में यू.पी.ए. सरकार

द्वारा लागू की गई आर्थिक नीतियों का परिणाम है। इस अवधि में राज्य का स्वयं का कर राजस्व, वैट लागू करने के बावजूद, केवल 108.86 प्रतिशत बढ़ा है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व आय वृद्धि में केन्द्र सरकार से प्राप्त अंशदान का अधिक योगदान रहा है। अर्थव्यवस्था में उछाल को देखते हुए राज्य सरकार के कर राजस्व संग्रहण के प्रयास पर्याप्त नहीं रहे।

मैं आपका ध्यान सी.ए.जी. की 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष की सिविल रिपोर्ट की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। रिपोर्ट के पृष्ठ 39 में यह स्पष्ट किया गया है कि राजस्व खाते के अधिशेष में गत वर्ष की तुलना में 2007-08 में रुपये 1015 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि, राजस्व प्राप्तियों में हुई वृद्धि 5189 करोड़ रुपये में 56 प्रतिशत योगदान केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से एवं यूनियन ग्रांट्स का था।

### राजस्व घाटा

सदन में बजट पर चर्चा के दौरान तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ ने पिछली सरकार के वित्तीय प्रबन्धन की प्रशंसा करते हुए वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में पुनः राजस्व घाटा होने का उल्लेख किया। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री कटारिया ने भी राजस्व घाटा बढ़ने का उल्लेख किया है।

पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2004-05 से 2007-08 की अवधि में राजस्व खाते में सुधार कई कारणों के मिश्रित प्रभाव के फलस्वरूप संभव हो सकता था इनमें प्रमुख इस प्रकार से हैं:-

केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई ऋणों की अदला-बदली (डेट स्वेप) के फलस्वरूप ब्याज भुगतान दायित्व में कमी आना। यह योजना हमारी पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2002-03 में लागू की गई थी व 2002-03 से 2003-04 की अवधि में हमने लगभग 3000 करोड़ रुपये के महंगे ऋणों को कम ब्याज दर वाले ऋणों से स्वेप किया था जिसके परिणामस्वरूप लगभग 200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ब्याज भुगतान की बचत हुई थी। वर्ष 2004-05 में भी यह प्रक्रिया जारी रही व लगभग 3700 करोड़ रुपये के महंगे ऋणों को स्वेप किया गया। इससे 175 करोड़ रुपये के ब्याज भुगतान की प्रतिवर्ष बचत हुई।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 में 6174 करोड़ रुपये के ऋणों को 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर कंसोलिडेट करके उसके पुनर्भुगतान को 20 वर्षों के लिए रीशिड्यूल किया गया। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 से 2008-09 की अवधि में 712 करोड़ रुपये के ब्याज भुगतान दायित्व में कमी आई, एवं साथ ही 625 करोड़ रुपये के मूल धन का पुनर्भुगतान भी कम करना पडा। इसके अतिरिक्त 308 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष ऋण माफी का भी लाभ प्राप्त हुआ।

वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2003-04 की अवधि में एवरेज कोस्ट ऑफ बोरोईंग जहां 9 प्रतिशत से अधिक रही, वहीं 2004-05 से 2008-09 की अवधि में ब्याज दरों में आम गिरावट के कारण यह 8 प्रतिशत से कम रही।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 29.5 प्रतिशत से बढ़कर 30.5 प्रतिशत हो गया तथा उसमें से राजस्थान का हिस्सा 5.609 हो गया जबकि ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि में यह 5.473 था।

केन्द्रीय करों के संग्रहण में इस अवधि में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज हुई जिसके परिणामस्वरूप राज्य को केन्द्रीय करों में मिलने वाले हिस्से में भी वृद्धि हुई। वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि में केन्द्रीय करों में राज्य को 33891 करोड़ रुपये की हिस्सा राशि मिली जबकि वर्ष 1999-2000 से 2003-04 की अवधि में 14572 करोड़ रुपये की ही हिस्सा राशि मिली थी। 2004-2009 की अवधि में प्राप्त राशि वर्ष 1999-2004 की अवधि में मिली राशि से 133 प्रतिशत अधिक थी।

इसी प्रकार यूनियन ग्रांट्स में वर्ष 1999-2000 से 2003-04 की अवधि में 10868 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि 2004-05 से 2008-09 की अवधि में 20947 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो पूर्व अवधि से लगभग 93 प्रतिशत अधिक हैं।

राज्य को वर्ष 1999-2000 से 2003-04 की अवधि में 29001 करोड़ रुपये का स्वयं का कर राजस्व प्राप्त हुआ था, जिसकी तुलना में वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि में 58312 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त हुआ तथा यह वृद्धि लगभग 101 प्रतिशत थी, जबकि इसी अवधि में केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में वृद्धि 132 प्रतिशत थी।

राज्य के स्वयं के कर राजस्व एवं केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की वार्षिकवृद्धि दर से भी यह स्पष्ट है कि राज्य के स्वयं के कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि दर केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की वृद्धि दर से कम रही है।

वर्ष	केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से की वार्षिक वृद्धि दर	राज्य के स्वयं के कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि दर
2004-05	19.53	16.13
2005-06	23.10	17.41
2006-07	27.55	17.49
2007-08	26.14	14.36
2008-09 (आरई)	5.50	14.01

2009-10 (एमबीई)	6.90	10.62
-----------------	------	-------

इस विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान राजस्व घाटे में सुधार, केन्द्र सरकार से अधिक अन्तरण प्राप्त होने, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने एवं अर्थव्यवस्था में उछाल की स्थिति होने इत्यादि की वजह से संभव हुआ है।

सदन में राजस्व घाटे को लेकर काफी चिन्ताएं व्यक्त की गई हैं और यह प्रश्न उठाया जा रहा है कि इसकी पूर्ति कैसे होगी। वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के राजस्व घाटे के सम्बन्ध में चर्चा करने से पूर्व मैं सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि राजस्व घाटा कोई नई बात नहीं है। वर्ष 1992-93 से वर्ष 2005-06 तक राज्य लगातार राजस्व घाटे में रहा और तब भी इस घाटे की पूर्ति केपिटल अकाउंट से की जाती रही है।

वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों एवं वर्ष 2009-10 के परिवर्तित बजट में राजस्व घाटे के कारणों से सदन भलीभांति परिचित है। मैंने अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि वैश्विक मंदी का प्रभाव न केवल समूचे देश पर पडा है बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही है। एक तरफ जहां केन्द्रीय करों में राज्य को मिलने वाले हिस्से की वृद्धि दर तथा राज्य की स्वयं की राजस्व आय की वृद्धि दर दोनों में ही गिरावट आई है, वहीं दूसरी ओर छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के परिणामस्वरूप राजस्व व्यय में भारी वृद्धि हुई है।

माननीय सदस्य इस तथ्य से परिचित हैं कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें 1 सितम्बर, 2006 से लागू की गई थीं तथा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में, बढ़े हुए वेतन एवं पेंशन के भुगतान के अलावा 1 जनवरी, 2007 से 31 अगस्त, 2008 तक की एरियर राशि का भुगतान भी किया गया है। इसके परिणामस्वरूप इन दो वर्षों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन भत्तों एवं पेंशन में असाधारण वृद्धि हुई है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 11.09.2008 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2008-09 में बढ़े हुए वेतन भत्तों के भुगतान पर लगभग 5000 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2009-10 में 6500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा अनुमानित किया गया था। इसी प्रकार पेंशन के पेटे वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में प्रतिवर्ष 660 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्चा अनुमानित किया गया था।

राजस्व आय की वृद्धि दर में कमी आने एवं राजस्व व्यय में बढ़ोतरी होने के बावजूद हमने चालू वर्ष की योजना के आकार को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है तथा हम आश्वस्त हैं कि इस योजना को हम पूरा कर पायेंगे। बढ़ी हुई योजना के वित्त पोषण की व्यवस्था की जाकर तदनुसार बजट में इसके लिये समुचित प्रावधान कर लिया

गया है। हम आशा करते हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर समाप्त होने के साथ राजस्व प्राप्तियों में पुनः आशातीत वृद्धि होगी।

### **vkj/akt/15072009/2q**

#### **एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अन्तर्गत फिस्कल टारगेट्स:**

शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य श्री राव राजेन्द्र सिंह ने सी.ए.जी. रिपोर्ट सिविल 2007-2008 के सन्दर्भ में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अन्तर्गत फिस्कल टारगेट्स समय से पूर्व अर्जित करने का उल्लेख किया है।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ऋण राहत का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एफ.आर.बी.एम. एक्ट मई, 2005 में लागू किया गया था। इस एक्ट में वर्ष 2008-2009 में राजस्व घाटे को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को जी.एस.डी.पी. का तीन प्रतिशत लाने का लक्ष्य रखा गया था।

यह सही है कि राजस्व घाटा 2008-2009 की बजाय 2006-2007 में ही समाप्त कर लिया गया और राजकोषीय घाटा वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 क्रमशः 2.67 एवं 2.01 प्रतिशत रहा। वर्ष 2006-2007 में राजस्व अधिशेष 638 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2007-2008 में 1,653 करोड़ रुपये रहा।

माननीय सदस्य एफ.आर.बी.एम. एक्ट के लक्ष्यों को समय से पूर्व पूरा करने का जो गुणगान कर रहे हैं, वह वास्तव में राज्य के आर्थिक विकास को ठेस पहुंचाने वाला साबित हुआ है। राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे में जो सुधार हुआ उसके लिए पूर्ववर्ती सरकार का कितना योगदान था, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि राज्य सरकार सोशल सेक्टर एवं केपिटल असेट्स के सृजन पर जितना खर्चा कर सकती थी, उसकी कीमत पर एफ.आर.बी.एम. टारगेट्स को समय से पहले अर्जित करने को प्राथमिकता देना वित्तीय प्रबन्धन पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। एफ.आर.बी.एम. एक्ट की पालना करने एवं भारत सरकार की ऋण राहत योजना का लाभ उठाने के लिए वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के क्रमशः 3.6 प्रतिशत एवं 3.2 प्रतिशत तक ही लाना पर्याप्त था, जबकि इसे क्रमशः 2.67 प्रतिशत एवं 2.01 प्रतिशत रखा गया अर्थात् राज्य सरकार के पास वर्ष 2006-2007 में 1,389 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2006-2007 में 2,029 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने के लिए फिस्कल स्पेस उपलब्ध था, जिसे उपयोग में नहीं लिया गया और राशियां अनावश्यक रूप से उधार लेकर रिजर्व बैंक में निवेश की गईं।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य पूर्व सरकार की कथित उपलब्धियों की

असलियत समझ सकेंगे।

### योजना व्यय:

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ ने उल्लेख किया है कि वार्षिक योजना में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी न होकर केवल 23 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी हुई है एवं दसवीं पंचवर्षीय योजना से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पिछली सरकार द्वारा 220 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई जो सबसे अधिक है। बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा ने यह उल्लेख किया है कि 18,634 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना प्रस्तुत की गई है, इसे के लिए संसाधन कहां से आयेंगे, इसका कोई उल्लेख बजट में नहीं किया गया है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री कटारिया ने भी योजना के वित्त पोषण के लिए संसाधनों का प्रश्न उठाया है।

माननीय सदस्य ने बजट भाषण के एक ही आंकड़े को देखा। मैंने बजट भाषण में स्पष्ट उल्लेख किया है कि इस वर्ष की अनुमोदित योजना का आकार 17,322 करोड़ रुपये है जिसे बढ़ाकर 18,634 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। अगर आप केवल 17,322 करोड़ रुपये के ही आधार पर वृद्धि निकालेंगे तो 23 प्रतिशत आएगी, किन्तु मैंने इस परिवर्तित बजट में प्रस्तावित योजना के आकार के संबंध में वृद्धि का उल्लेख किया है जो 33 प्रतिशत है और सही है। 18,634 करोड़ रुपये की प्रस्तावित योजना राज्य की अब तक की सबसे बड़ी योजना है।

योजना का आकार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय पूरे देश में अर्थव्यवस्था अपने शिखर पर थी तथा संसाधनों की उपलब्धता की भी कोई समस्या नहीं थी। राज्य सरकार के पास तो उस समय इतना सरप्लस था कि उसे खर्च भी नहीं किया जा सकता था और यह राशि रिजर्व बैंक में विनियोजित रहती थी। अब इस योजना की क्रियान्विति हम कर रहे हैं और हमने संसाधनों की दृष्टि से दबाव की स्थिति के बावजूद चालू वर्ष की योजना 33 प्रतिशत की वृद्धि के साथ प्रस्तावित की है जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने 2008-2009 में 14,000 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना, योजना आयोग से अनुमोदित कराई थी, वह पूर्व वर्ष 2007-2008 के 13,795 करोड़ रुपये के योजना खर्च की तुलना में केवल 1.49 प्रतिशत अधिक थी।

मैं यहां पर माननीय सदन के सम्मुख एक अन्य गंभीर विषय का भी उल्लेख करना चाहूंगा जो खर्च की गुणवत्ता एवं उपादेयता से संबंधित है। योजना खर्च में बढ़ोतरी करने के बावजूद यदि राज्य का आर्थिक विकास अपेक्षित गति से नहीं हो तो उससे क्या लाभ? अभी भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत इकोनॉमिक सर्वे वर्ष 2008-2009 में राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, उससे यह स्पष्ट हुआ है कि

राजस्थान, नोन-स्पेशल केटेगरी स्टेट्स, में एकमात्र ऐसा राज्य है जो वर्ष 2000-2001 से 2003-2004 की अवधि में हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स की श्रेणी में था और वर्ष 2004-2005 से 2007-2008 की अवधि में लो परफॉर्मिंग स्टेट्स की श्रेणी में आ गया है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि पूर्ववर्ती सरकार की अवधि में दिखावटी खर्चे अधिक किये गये जिसका वास्तविक प्रभाव राज्य के आर्थिक विकास में परिलक्षित नहीं हो सका।

खर्चे की गुणवत्ता का एक मापदण्ड, परिसम्पत्तियों के सृजन पर किया जाने वाले खर्चा है। वर्ष 2007-2008 में यह खर्चा 6,556 करोड़ रुपये था जो घटकर वर्ष 2008-2009 के बजट अनुमानों में 6,272 करोड़ रुपये ही रह गया। वर्तमान सरकार ने संसाधनों की कमी के बावजूद केपिटल आउट-ले हेतु प्रावधान में वर्ष 2008-2009 की तुलना में वर्ष 2009-2010 के परिवर्तित अनुमानों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की है एवं इस हेतु 6,864 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया है।

बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बिन्दु उठाया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य ने बजट दस्तावेज का पूरी तरह अध्ययन नहीं किया है। परिवर्तित बजट 2009-2010 में 39.20 करोड़ रुपये का बजट आधिक्य बताया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि समस्त खर्चे, जिसमें योजना, गैर आयोजना एवं केन्द्रीय प्रवर्तित योजना मद के खर्चे शामिल हैं, करने के बाद राज्य कोष में 39.20 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शेष रहेगी।

#### **राज्य पर ऋणभार:**

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़ ने उल्लेख किया है कि दिनांक 31.3.2009 को 84,000 करोड़ रुपये का ऋण शेष जिसमें सर्वाधिक ऋण कांग्रेस सरकार ने लिया। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री कटारिया ने भी कांग्रेस शासन काल में कर्जों की वृद्धि का उल्लेख किया है।

वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2003-2004 की अवधि में तत्कालीन सरकार द्वारा 29,191 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में (2004-2005 से 2008-2009) संसाधनों की समुचित उपलब्धता के बावजूद 30,943 करोड़ रुपये के ऋण का बोझ राज्य पर बढ़ाया है। यदि हम ऋण की वार्षिक वृद्धि दर को देखें तो वर्ष 2007-2008 में यह 8.42 प्रतिशत थी जो वर्ष 2009-2010 के परिवर्तित बजट में 8.08 प्रतिशत है। उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि माननीय सदस्य का निष्कर्ष वास्तविकता से परे है।

वैट की दर 12.5 से 14 प्रतिशत बढ़ाये जाने से गरीब वर्ग प्रभावित होगा तथा व्यवसाय का दूसरे राज्यों में पलायन होगा:

राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या श्रीमती किरण माहेश्वरी, नगर से आने

वाली माननीय सदस्या श्रीमती अनिता सिंह और उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया द्वारा वैट की दर 12.5 से 14 प्रतिशत करने के परिणामस्वरूप गरीब वर्ग के प्रभावित होने एवं व्यवसाय के दूसरे राज्यों में पलायन होने का उल्लेख किया गया।

बजट में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि गरीब, किसान तथा आम आदमी पर कोई कर नहीं लगाया गया है तथा जरूरत की वस्तुओं पर मौजूदा कर दर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में चार प्रतिशत कर दर पर आधा प्रतिशत तथा 12.5 प्रतिशत कर दर पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाया गया है। मध्य प्रदेश में भी बजट में वैट की सामान्य दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इसी प्रकार गुजरात में वर्ष 2008 से, कतिपय वस्तुओं को छोड़कर, 4 प्रतिशत की कर दर के साथ-साथ एक प्रतिशत तथा 12.5 प्रतिशत की अधिकांश वस्तुओं पर 2.5 प्रतिशत, अतिरिक्त कर लगा हुआ है।

चार प्रतिशत कर योग्य वस्तु जिनकी संख्या 483 है, उनमें सभी जरूरत के सामान तथा उद्योगों के लिए कच्चा माल शामिल हैं। राजस्थान में विकट वित्तीय परिस्थिति के बावजूद चार प्रतिशत की कर दर को यथावत रखा गया है। जिन वस्तुओं पर 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है, उसमें मोटर वाहन, टी.वी., फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल हैं। यद्यपि इस वर्ग में 1,232 प्रकार की वस्तुएं हैं परन्तु राज्य में सिर्फ 70 वस्तुओं पर वार्षिक 10 लाख से ज्यादा टैक्स भरने वाले डीलर्स हैं। राज्य के विकास के लिए संसाधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वैट दर में यह मामूली बढ़ोतरी (100 रुपये पर डेढ़ रुपया) की गई है जो ऐसे वस्तुओं का ग्राहक सहन करने में सक्षम होंगे।

एम्पावर्ड कमेटी द्वारा निर्धारित वैट की दरें एक प्रतिशत, चार प्रतिशत एवं 12.5 प्रतिशत न्यूनतम (फ्लोर) रेट है। राज्य सरकार को भारत के संविधान के मुताबिक इन दरों में वृद्धि करने का पूर्ण अधिकार है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात सरकार द्वारा ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जा चुका है। अतः 12.5 प्रतिशत से 14 प्रतिशत करना वैट भावना के खिलाफ नहीं कहा जा सकता।

जहां तक इस बढ़ोतरी से व्यवसाय दूसरे राज्यों में पलायन करने का प्रश्न है, इसकी संभावना नगण्य है क्योंकि इन वस्तुओं का उपयोग आम आदमी के द्वारा कम किया जाता है जबकि पूर्व सरकार ने समाज के सभी वर्गों द्वारा काम में लिये जाने वाले पेट्रोल एवं डीजल पर कर दर को, हरियाणा, दिल्ली एवं पंजाब से अधिक निर्धारित करने के बावजूद भी, 2006-2007 से खपत में वृद्धि निरन्तर हो रही है।

पेट्रोलियम पदार्थ	1998-99	से	2004-05	से	बढ़ोतरी
-------------------	---------	----	---------	----	---------

	2003-04	2008-09	
पेट्रोल	20 से 23 प्रतिशत	28 प्रतिशत	5 प्रतिशत
डीजल	16 प्रतिशत	20 प्रतिशत, जून, 2008 में भारत सरकार के दबाव पर 18 प्रतिशत किया गया।	4 प्रतिशत

### डी.एल.सी. दरों में बढ़ोतरी:

राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्या श्रीमती किरण माहेशवरी ने डी.एल.सी. दरों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए इस बढ़ोतरी के पश्चात् जिला स्तरीय समितियों का कोई औचित्य नहीं माना है। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया ने उल्लेख किया है कि निर्माण वस्तुओं पर रियायतें देकर डी.एल.सी. दरें भी बढ़ा दी हैं, जिससे आम आदमी पर भार बढ़ गया है।

राज्य में अचल सम्पत्ति के विक्रय पर पंजीयन की कार्यवाही नियमानुसार मार्केट वैल्यू के आधार पर होनी चाहिए। अतः डी.एल.सी. रेट एवं मार्केट रेट के मध्य अंतर नहीं होना चाहिए, परन्तु वास्तविकता यह है कि राज्य के लगभग सभी जिलों में डी.एल.सी. रेट एवं मार्केट रेट के बीच भारी अंतर है। इससे राजकोष में नुकसान होने के साथ आम काश्तकारों को अपनी जमीन का सही मुआवजा भी नहीं मिल पाता है।

राज्य में 22 जिलों में जिला स्तरीय कमेटियों द्वारा डी.एल.सी. रेट रिव्यू करना लम्बित है। नियमानुसार यदि जिला स्तरीय समिति द्वारा एक वर्ष के अन्दर रेट का रिव्यू नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार को रेट बढ़ाने एवं घटाने का अधिकार है। अतः यह स्पष्ट है कि जिला स्तरीय कमेटी समय पर रेट को रिव्यू करने के लिए स्वतंत्र है।

जयपुर जिले में 7 नवम्बर, 2007 के बाद डी.एल.सी. रेट का निर्धारण नहीं हुआ है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने डी.एल.सी. रेट में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसी प्रकार राज्य के उन जिलों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिनमें वर्ष 2009 में डी.एल.सी. रेट का निर्धारण नहीं हो पाया है।

### नई घोषणाएं:

बजट में मेरे द्वारा की गई घोषणा के अलावा जनभावना के अनुरूप में निम्नलिखित प्रस्ताव और प्रस्तुत करता हूं।

\*विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत लाभ, केवल शारीरिक रूप अक्षम तथा दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। अब बी.पी.एल. परिवार के सदस्य जो निम्न प्रकार के

विकलांगता से प्रभावित हैं, उनको भी पेंशन का लाभ दिया जायेगा :-

1. मानसिक रूप से विमंदित व्यक्ति
2. बधिर (DEAF)
3. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति

इससे लगभग 50,000 बी.पी.एल. परिवार के सदस्य लाभान्वित होंगे।

\*जालौर, सिरौही में उत्पादित ईसबगोल को कर मुक्त करना प्रस्तावित है तथा भीनमाल में स्थापित ईसबगोल मण्डी को व्यवस्थित किया जायेगा। ईसबगोल आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

\*भू-राजस्व तथा आम जनता से संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसाकि

1. राज्य के समस्त पात्र गैर-खातेदारों को खातेदारी अधिकार प्रदान,
2. पुराने कब्जों का नियमानुसार नियमन,
3. राजस्व प्रकरणों का मौके पर निस्तारण,

4. विभिन्न प्रमाण-पत्रों को जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तथा समस्याओं का त्वरित समाधान हेतु राज्य में पंचायत स्तर पर विशेष रेवेन्यु कैम्प का आयोजन शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

\*उपनिवेशन क्षेत्र में भारी संख्या में, काश्तकारों को आवंटित भूमि के विरुद्ध किश्तें बकाया हैं। दिनांक 31.12.2009 तक ऐसे काश्तकार, बकाया समस्त किश्तों को एकमुश्त जमा कराने पर, ब्याज की शत-प्रतिशत छूट देना प्रस्तावित है। इस संबंध में विस्तृत रूपरेखा, राजस्व(उपनिवेशन) विभाग द्वारा शीघ्र जारी की जायेगी।

\*पक्ष एवं विपक्ष के माननीय विधायकों से चर्चा कर राज्य में नये कालेज की स्थापना तथा मौजूदा कालेजों में नये विषयों को शुरू करने के लिए जन सहभागिता के साथ विधायक कोष से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित नीति बनाई जायेगी।

\*राज्य में हनुमानगढ़ जिला ऐसा एकमात्र जिला है जहां जिला मुख्यालय पर सरकारी कालेज नहीं है। अतः हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर नया सरकारी कालेज की स्थापना प्रस्तावित करता हूं।

\*गंगानगर जिले में पुरानी शुगर मिल को स्थानान्तरित कर नई शुगर मिल की स्थापना वर्ष 2007-2008 के बजट में घोषणा की गई थी। परन्तु नई मिल का शिलान्यास दिनांक 10.09.2008 को हो पाया है। अब जल्दी ही महाराष्ट्र पैटर्न पर स्थानीय किसानों की को-आपरेटिव बनाकर अत्याधुनिक मिल की स्थापना की जायेगी।

अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बजट पर सामान्य वाद-विवाद में भाग लिया एवं सरकार को अपने सुझाव प्रस्तुत किये। सत्ता दल

के माननीय सदस्यों के साथ-साथ, मैं भारतीय जनता पार्टी, सी.पी.आई.(एम), जनता दल एवं समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार को विपक्षी दलों का भी सकारात्मक सहयोग मिलता रहेगा ताकि हम सब मिलकर राज्य की विशेष समस्याओं का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मुकाबला कर सकें।

-----